अशोक कांत शरण
[illegible] KANT SHARAN
IPS

उत्तरांचल शासन

पुलिस महानिदेशक
उत्तरांचल
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
Uttaranchal
12, Subhash Marg
Dehradun - 248 001

अ0शा0 परिपत्र संख्याः 22 /2001
दिनॉकः दिसम्बर 31 , 2001

प्रिय महोदय,

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि विभिन्न जनपदों के न्यायालयों में विचाराधीन अभियोगों के अभियुक्त जो अलग–अलग जनपदों के कारागार/ उपकारागार में निरुद्ध हैं को सम्बन्धित न्यायालयों में साक्ष्य हेतु पेश करने हेतु सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा जनपद जहॉ की जेल (कारागार) में अभियुक्त निरुद्ध है, के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को पी0आई0 भेजी जाती है परन्तु सम्बन्धित वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रायः जनपद में कम संख्या में पुलिस बल होने या वी0आई0पी0 ड्यूटी की अधिकता के कारण अपने जनपद से अभियुक्तों को पेश करने हेतु पुलिस एस्कोर्ट उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जाती है जिसके कारण बहुत अल्प अवधि में जिस जनपद के न्यायालय में अभियोग विचाराधीन है, से पुलिस एस्कोर्ट पहले अभियुक्त को लेने हेतु सम्बन्धित कारागार/उपकारागार भेजा जाता है और वहॉ से अभियुक्तों को लेकर सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया जाता है तथा पेशी के उपरान्त अभियुक्तों को वापस सम्बन्धित कारागार में दाखिल करने हेतु पुलिस एस्कोर्ट भेजा जाता है तथा अभियुक्तों को कारागार में दाखिल करने के पश्चात पुलिस एस्कोर्ट वापस अपने नियुक्ति जनपद लौटता है। इस प्रकार भेजे गये एस्कोर्ट को 4 बार आना–जाना पड़ता है जिससे विभाग को आर्थिक हॉनि होने के साथ ही जनशक्ति का भी ह्रास होता है।

2– उपरोक्त समस्याओं पर विचारोपरान्त यह आदेश पारित किये जाते है कि भविष्य में जिस जनपद के कारागार में अभियुक्त निरुद्ध हों उन्हे माननीय न्यायालयों में पेश करने हेतु उसी जनपद से पुलिस एस्कोर्ट भेजा जाये जिससे विभाग को आर्थिक क्षति के साथ ही जनशक्ति का भी ह्रास न हो।

3– कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(अशोक कान्त शरण)
31/12/2001

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
उत्तरांचल।

पुलिस उपमहानिरीक्षक,
कुमॉयू एवं गढ़वाल परिक्षेत्र।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :—
1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उत्तरांचल।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उत्तरांचल।

☏ : 0135 - 712082 (कार्यालय) 712650 (निवास) फैक्स : 712080